राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2366/2016.. जिला : **जयपुर**
मैसर्स राधव इस्पात, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,बिजनिस ऑडिट प्रथम,संभाग प्रथम,जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक करक, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.2016	**एकलपीठ** **श्री सुनील शर्मा,सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री जी.एन.शर्मा, अभिभाषक एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपीलार्थी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा क्रमांक 133/अपील्स/स्थगन/2016–17 में राजस्थान वैट एक्ट, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित आदेश दिनांक 20.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिजनिस ऑडिट प्रथम,संभाग प्रथम, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अधिनियम की धारा 27(5) सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9(2) व 9(2)ए के अन्तर्गत तहत वर्ष 2013–14 के लिए पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 में कायम की गई की गई मांग राशि रू.7,20,945/–में से रू. 6,99,295/–की वसूली बाबत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, अस्वीकार किया गया है। स्थगन प्रार्थना पत्र दोनों पक्षों की बहस पर विचार किया गया । बहस एवं प्रकरण के तथ्यों पर मनन करने पर ज्ञात होता है कि स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश में SOS संव्यवहारों को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः बहस के दौरान बताये गये तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए व्यवसायी द्वारा स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 6,99,295/– के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत पेश करने की शर्त पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा । अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की तिथि से आगामी 3 माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। (सुनील शर्मा) सदस्य	